न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) पीपाड़ शहर
पीठासीन अधिकारी, शैतानसिंह राजपुरोहित R.A.S

राजस्व अपील संख्या :— 03/2019

अपीलान्ट :—	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स :—
साऊ उर्फ सायरी देवी पुत्री मोतीराम जाति विश्नोई निवासी तिलवासनी तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर (राज.)		1. मंगलाराम पुत्र मोतीराम 2. हड़मानराम पुत्र मोतीराम जातियान विश्नोई निवासी तिलवासनी पीपाड़ शहर 3. सरंपच जरिये ग्राम पंचायत तिलवासनी पीपाड़ शहर 4. भूमिधारी तहसीलदार पीपाड़ शहर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम

उपस्थित अधिवक्ता :— श्री अब्दुल सलीम खान सिन्धी अपीलान्ट की ओर से

निर्णय

दिनांक : 26.02.2020

वकील अपीलान्ट ने एक अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स पेश की हैं कि अपीलार्थी की पुश्तैनी कृषि भूमि ग्राम तिलवासनी की राजस्व सीमा में खसरा नम्बर 126 रकबा 0.7847 हैक्टयर किस्म बारानी प्रथम, खसरानम्बर 132 रकबा 2.4432 हैक्टयर किस्म बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 151 रकबा 0.5744 हैक्टयर किस्म बारानी प्रथ्रम, खसरा नम्बर 155 रकबा 1.7879 हैक्टयर किस्म बारानी प्रथम, खसरानम्बर 245 रकबा 2.3866 हैक्टयर किस्म बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 350/1 रकबा 0.8495 है. किस्म बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 575 रकबा 3.2926 है. किस्म बारानी द्वितीय, व खसरा नम्बर 70 रकबा 2.5969 है. किस्म बारानी प्रथम कुल खसरे 8 कुल रकबा 14.7148 है. के खाता सं. नया 409 व पुराना 315 के अनुसार आई हुई है उक्त भूमि अपीलार्थी के पिता मोतीराम पुत्र सिरदारराम जाति विश्नोई के नाम से दर्जसुदा, खरीददारीसुदा व कब्जासुदा रही है । जिसमें अपीलार्थी का 1/9 वां हिस्सा दर्ज है । जबकि वास्तव में 1/3 वां हिस्सा बनता है । उपरोक्त कृषि भूमि मोतीराम के देहान्त दिनांक 19.05.2006 के पश्चात् अपीलार्थी व अपीलार्थी के भाई मंगलाराम व हड़मान के नाम के साथ—साथ माडीदेवी बेवा मोतीराम फौतेदगी नामान्तरकरण भरा जाना था लेकिन हल्का पटवारी एवं ग्राम पंचायत तिलवासनी ने भू. अभिलेख निरीक्षक के साथ बिना जांच के नामान्तरण केवल मंगलाराम व हड़मानराम एवं माडी देवी के नाम नामान्तर सं. 630 पंचायत से स्वीकृत करवाकर भरवा लिया । जबकि अपीलार्थी हिन्दु विधि संशोधित प्रावधानो के आधार पर प्रथम श्रेणी की मोतीराम की उत्तराधिकारी महिला पुत्री के रूप जायन्दा संतान रही है । लेकिन राजस्व कर्मचारियो ने भूल करते हुए अपीलार्थी का नाम उक्त नामान्तरकरण सं. 630 के अनुसार मोतीराम के वारिसान के रूप में बहैसियत खातेदार नामान्तरण के दौरान दर्ज नही किया । इस कारण उक्त नामान्तरकरण सं. 630 विधि विरूद्ध होने से खारिज किये जाने योग्य है। लिहाजा अन्दर म्याद अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण सं. 630 निरस्त कर मोतीराम के वारिसान की जांच कर नामान्तरकरण पुनः खोले जाने के आदेश फरमावें ।

उपखण्ड अधिकारी
शहर (जोधपुर)

Scanned with CamScanner

अपीलान्ट की अपील को दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट्स सं. 1 से 3 के नोटिस बाद तामिल अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। रेस्पोडेन्ट्स सं. 4 तहसीलदार पीपाड़ शहर ने जवाब प्रस्तुत किया है कि ग्राम तिलवासनी के खसरा नम्बर 126, 151, 132 खाता सं. 409 में अपीलान्ट सा.उर्फ सायरी देवी पुत्री मोतीराम 1/3 हिस्सा किये जाने अनुशंषा की गयी है ।

हमने बहस वकील अपीलान्ट सुनी गई । वकील अपीलान्ट ने अपील में दर्शाये बिन्दुओ को पुरजोर से दोहराया कि अपीलान्ट की अपील मय खर्चा स्वीकार की जाकर सरपंच ग्राम पंचायत तिलवासनी द्वारा स्वीकृत अपीलाधीन म्यूटेशन संख्या 630 दिनांक 15.03.2001 को निरस्त किये जाने के आदेश फरमावे ।

प्रस्तुत अपील को गुणावगुण पर निर्णित करने से पूर्व उसकी म्याद में होने के सम्बन्ध में विवेचना एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को निर्णित किया जाना आवश्यक हैं । मेरे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया । अपीलान्ट्स ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम के तहत पेश किया हैं जिसको अन्दर मियाद शुमार किया जाता हैं । हमने नामान्तरण सं. 630 दिनांक 15.03.2001 जो ग्राम पंचायत तिलवासनी द्वारा स्वीकृत किया गया हैं का अध्ययन किया ।

अतः उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट हैं कि नामान्तरकरण सं. 630 ग्राम तिलवासनी खातेदार के उत्तराधिकारियो की सही जांच किए बिना भरा गया हैं । अतः अपील स्वीकाय योग्य होने से स्वीकार की जाती हैं । ग्राम पंचायत तिलवासनी द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण सं. 630 दिनांक 15.03.2001 को खारिज कर तहसीलदार पीपाड़ शहर को रिमाण्ड कर आदेश दिया जाता हैं कि नियमानुसार नये सिरे से खातेदार के विधिक उत्तराधिकारियो की सम्पूर्ण जांच कर, आदेश पारित कर नामान्तरकरण की कार्यवाही की जावें ।

(शैतानसिंह राजपुरोहित)
सहायक कलक्टर (SDO)
पीपाड़ शहर
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

निर्णय आज दिनांक 26.02.2020 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

(शैतानसिंह राजपुरोहित)
सहायक कलक्टर (SDO)
पीपाड़ शहर
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

Scanned with CamScanner